

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक- / / 2025

संचिका सं०-17/विविध-01-218/2024- स्वा०, विभागीय आदेश सख्या- 34(17) से 52(17) (तक) दिनांक-11.01.2025 तथा 92(17) से 96(17) (तक), दिनांक-24.01.2025 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है।

उक्त के आलोक में कतिपय नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में योगदान कर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं।

अतः वैसे नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर, जो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में योगदान कर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं, को निदेशित किया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में योगदान कर कार्य करना सुनिश्चित करे, अन्यथा उनके सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर अवधि को स्वतः समाप्त माना जायेगा।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

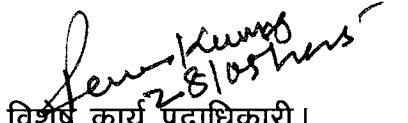
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 17/विविध-02-218/2024 - 540(17) पटना, दिनांक :- 28/05/2025

प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।